:: अल्प कालीन निविदा::

खुली नीलामी हेतु चिन्हित क्षेत्र का विवरण व शर्तें निम्नवत् हैं:–

तहसील बड़कोट

क्र सं	लॉट का नाम	ल0×चौ0 ×उ0 मीटर में	खसरा संख्या	रक्वा हे0 में	घनमी0	रॉयल्टी 70 रू0 प्रति टन ₹ में	क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 10 प्रतिशत	स्टाम्प शुल्क रॉयल्टी का 2 प्रतिशत	रायल्टी के अतिरिक्त देय धनराशि 70 रू0 प्रति टन	डी0एम0एफ0 रॉयल्टी का 15ः ₹ में	कुल धनराशि ₹ में	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	पालर(निकट निर्माण कैम्प के सामने) यमुना नदी तट	250×16 ×03	6299म0, 6485म0,	0.400	12000 घन मी0 21600	15,12,000	1,51,200	30,240	15,12,000	2,26,800	34,32,240	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
2	डख्यॉटगॉव (निकट राजगढी मोटर पुल के अप स्ट्रीम / पांवर हाउस के पास) यमुना नदी तट	200×20 ×03	11393म0	0.400	12000 घन मी0 21,600 टन	15,12,000	1,51,200	30,240	15,12,000	2,26,800	34,32,240	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
3	ग्राम डख्यॉटगॉव (छठांगा के नीचे)यमुना नदी तट क्षेत्रान्तर्गत	200×20 ×03	10558म0	0.400	12,000 घन मी0 21,600 टन	15,12,000	1,51,200	30,240	15,12,000	2,26,800	34,32,240	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
4	ग्राम बड़कोट मध्ये (शहीद तिलाडी स्मारक के डाउनस्ट्रीम मे) यमुना नदी तट	200×20 ×03	516म0	0.400	12,000 घन मी0 21,600 टन	15,12,000	1,51,200	30,240	15,12,000	2,26,800	34,32,240	चार माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
5.	ग्राम बड़कोट मध्ये (पौंटी पुल के अपस्ट्रीम मे) यमुना नदी	150×26 ×03	6म0	0.390	11,700 घन मी0 21,060	14,74,200	1,47,420	29,484	14,74,200	2,21,130	33,46,434	चार माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
6.	ग्राम पौंटी (निकट पालिटेक्निक के पास) यमुना नदी	200×20 ×03	10811म0	0.400	12000 घन मी0 21,600	15,12,000	1,51,200	30,240	15,12,000	2,26,800	34,32,240	चार माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
7.	ग्राम पौंटी (निकट शिवम स्टोक्रेशर के डाउनहिल की ओर) यमुना नदी तट क्षेत्रान्तर्गत	220×20 ×03	10284म0	0.440	13200 घन मी0 23760 टन	16,63,200	1,66,320	33,264	16,63,200	2,49,480	37,75,464	चार माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
8	ग्राम पौंटी / बगासू की सीमा के पास यमुना नदी	164×25 ×03	10282म0	0.410	12300 घन मी0 22140	15,49,800	1,54,980	30,996	15,49,800	2,32,470	35,18,046	चार माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो

9	ग्राम काण्डी पटटी गोडर यमुना नदी तट	150×20 ×03	791म0	0.300	9000 घन मी0 1620	11,34,000	1,13,400	22,680	11,34,000	1,70,100	25,74,180	चार माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो

:: तहसील डुण्डा ::

क्र सं	लॉट का नाम	ल0×चौ0 ×उ0 मीटर में	खसरा संख्या	रक्वा हे0 में	घनमी0	रॉयल्टी 70 रू0 प्रति टन ₹ में	क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 10 प्रतिशत	स्टाम्प शुल्क रॉयल्टी का 2 प्रतिशत	रायल्टी के अतिरिक्त देय धनराशि 70 रू0 प्रति टन	डी0एम0एफ0 रॉयल्टी का 15% ₹ में	कुल धनराशि ₹ में	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	ग्राम अस्तल तहसील डुण्डा (निकट राजा होटल केसामने)भागीरथी नदी तल में	110×15 ×03	639म0,	0.165	4950 घन मी0 8910 टन	6,23,700	62,370	12,474	6,23,700	93,555	14,15,799	दो माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
2.	ग्राम डुण्डा पट्टी बरसाली(राज होटल के डाउन स्ट्रीम)में भागीरथी नदी तट में	150×20 ×03	2251म.	0.300	9000 घन मी0 16200 टन	11,34,000	1,13,400	22,680	11,34,000	1,70,100	25,74,180	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
3.	ग्राम रनाडी (निकट आईटी आई डुण्डा के पास)भागीरथी नदी तट में	120×25 ×03	381म.	0.300	9000 घन मी0 16200 टन	11,34,000	1,13,400	22,680	11,34,000	1,70,100	25,74,180	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
4.	ग्राम बडेथी पटटीबरसाली (निकट बडेथी चुगी वाई पास डाउन स्ट्रीम में)	150×20 ×03	1963म0, 1964म0, 2031म0	0.300	9000 घन मी0 16200 टन	11,34,000	1,13,400	22,680	11,34,000	1,70,100	25,74,180	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
5.	ग्राम सौंदी उप तहसील धौन्ती जलकुर नदी	85×12 ×03	5698म.	0.100	3060 घन मी0 5508	3,85,560	38,556	7,711	3,85,560	57,834	8,75,221	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो

:: तहसील पुरोला ::

क्र सं	लॉट का नाम	ल0×चौ0 ×उ0 मीटर में	खसरा संख्या	रक्वा हे0 में	घनमी0	रॉयल्टी 70 रू0 प्रति टन ₹ में	क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 10 प्रतिशत	स्टाम्प शुल्क रॉयल्टी का 2 प्रतिशत	रायल्टी के अतिरिक्त देय धनराशि 70 रू0 प्रति टन	डी0एम0एफ0 रॉयल्टी का 15: ₹ में	कुल धनराशि ₹ में	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	ग्राम हुडोली	**80×20**	5105म.	0.160	4800	6,04,800	6,04,800	12,096	6,04,800	90,720	13,72,896	दो माह अथवा 30 जून जो भी

	कमलनदी में	×03			घन मी0 8640 टन							पहले हो
02	ग्राम ठढुंग कमलनदी में	80×15 ×03	1025म	0.120	3600 घन मी0 6480 टन	4,53,600	45,360	9072	4,53,600	68,040	10,29,672	दो माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
03	ग्राम ठढुंग (सिचाई विभाग के पास) कमल नदी में	150×14 ×03	541म. 543म.	0.210	5250 घन मी0 8450 टन	6,61,500	66,150	13,230	6,61,500	99,225	15,01,605	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
04	ग्राम स्वील कमल नदी में	150×20 ×03	1712म	0.300	7500 घन मी0 13500 टन	9,45,000	94,500	18,900	9,45,000	1,41,750	21,45,150	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
05	ग्राम स्वील–II कमल नदी में	200×20 ×03	809म.	0.400	10000 घन मी0 18000 टन	12,60,000	1,26,000	25,200	12,60,000	1,89,000	28,60,200	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
06	ग्राम खलाडी कमल नदी में	100×11 ×03	2646म	0.110	2750 घन मी0 4950 टन	3,46,500	34,650	6,930	3,46,500	51,975	7,86,555	दो माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
07	ग्राम खलाडी II कमल नदी में	150×20 ×03	693म.	0.300	7500 घन मी0 13500 टन	9,45,000	94,500	18,900	9,45,000	1,40,750	21,45,150	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
08	ग्राम खलाडी III कमल नदी में	170×16 ×03	371म.	0.280	6800 घन मी0 12240 टन	8,56,800	85,680	17136	8,56,800	1,28,520	19,44,936	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
09	ग्राम खावलीसेरा I कमल नदी में	200×20 ×03	1882, 1849	0.400	10000 घन मी0 18000 टन	12,60,000	1,26,000	25,200	12,60,000	1,89,000	28,60,200	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो

10	ग्राम खावलीसेरा II कमल नदी में	200×20 ×03	1882, 1849	0.400	10000 घन मी0 18000 टन	12,60,000	1,26,000	25,200	12,60,000	1,89,000	28,60,200	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
11.	ग्राम कोटी I कमल नदी में	200×20 ×03	1165, 534	0.400	10000 घन मी0 18000 टन	12,60,000	1,26,000	25,200	12,60,000	1,89,000	28,60,200	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
12	ग्राम कोटी II कमल नदी में	150×20 ×03	303	0.300	7500 घन मी0 13500 टन	9,45,000	94,500	18,900	9,45,000	1,41,750	21,45,150	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
13	ग्राम धामपुर कमल नदी में	200×15 ×03	592म.	0.300	7500 घन मी0 13500 टन	9,45,000	94,500	18,900	9,45,000	1,41,750	21,45,150	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
14	ग्राम मोल्टाडी कमल नदी में	200×20 ×03	886म.	0. 400	10000 घन मी0 18000 टन	12,60,000	1,26,000	25,200	12,60,000	1,89,000	28,60,200	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
15	ग्राम मोल्टाडी II कमल नदी में	150×20 ×03	459म.	0. 300	7500 घन मी0 13500 टन	9,45,000	94,500	18,900	9,45,000	1,41,750	21,45,150	**तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो**
16	ग्राम कुमारकोट कमल नदी में	200×20 ×03	01	0. 400	10000 घन मी0 18000 टन	12,60,000	1,26,000	25,200	12,60,000	1,89,000	28,60,000	**तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो**

:: तहसील मोरी ::

क्र सं	लॉट का नाम	ल0×चौ0 ×उ0 मीटर में	खसरा संख्या	रक्वा हे0 में	घनमी0	रॉयल्टी 70 रू0 प्रति टन ₹ में	क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 10 प्रतिशत	स्टाम्प शुल्क रॉयल्टी का 2 प्रतिशत	रायल्टी के अतिरिक्त देय धनराशि 70 रू0 प्रति टन	डी0एम0एफ0 रॉयल्टी का 15: ₹ में	कुल धनराशि ₹ में	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	ग्राम आराकोट निकट गैस गोदाम पॉवर नदी	180×10 ×1.5	459, 1025	0. 180	2700 घन मी0 4860 टन	3,40,200	34,020	6,800	3,40,200	51,030	7,72,250	**दो माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो**
02	ग्राम आराकोट मध्ये सनेल पॉवर नदी	150×25 /15	341,343	0.325	9750 घन मी0	12,28,500	1,22,850	24,570	12,28,500	1,84,275	27,88,695	**तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले**

		×3			17550 टन							हो
03	ग्राम थली मध्ये किरोली तापड टौन्स नदी	100×25 ×3	1557म	0.250	7500 घन मी0 11250 टन	7,87,500	78,750	15,750	7,87,500	1,18,125	17,96,625	तीन माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो

:: <u>तहसील भटवाड़ी</u> ::

क्र सं	लॉट का नाम	ल0×चौ0 ×उ0 मीटर में	खसरा संख्या	रक्वा हे0 में	घनमी0 / टन में	रॉयल्टी 70 रू0 प्रति टन ₹ में	क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 10 प्रतिशत	स्टाम्प शुल्क रॉयल्टी का 2 प्रतिशत	रायल्टी के अतिरिक्त देय धनराशि 70 रू0 प्रति टन	डी0एम0एफ0 रॉयल्टी का 15 ₹ में	कुल धनराशि ₹ में	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	ग्राम अठाली भागीरथी नदी	300×20 ×3	1338	0.600	18000 घन मी0 32400 टन	22,68,000	2,26,800	45,360	22,68,000	3,40,200	51,48,360	चार माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो
02.	ग्राम दिलसौड़ भागीरथी नदी	200×25 ×3	522, 582, 583	0.575	17250 घन मी0 31050 टन	21,73,500	2,17,350	43,470	21,73,500	3,26,025	49,33,845	चार माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो

नीलामी की शर्तेः—

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र/अभिलेख संलग्न किये जाना अनिवार्य होंगे।

(i) जनपद उत्तरकाशी का स्थाई निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र ।

(ii) जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र।

(iii) ब्लैक लिस्टेड न होने संबंन्धी शपथ पत्र।

(iv) जी0एस0टी0 नम्बर एवं पैन नम्बर।

(v) चरित्र प्रमाण पत्र (फर्म के संबंध में फर्म के सभी पार्टनर्श का चरित्र प्रमाण पत्र) यदि चरित्र प्रमाण पत्र जारी नही हुआ है तो आवेदन की पावती के साथ शपथ पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त हो जाता है, तो आवेदन निरस्त समझा जाये।

(vi) अद्यतन हैसियत प्रमाण पत्र (यदि 06 माह से पुराना हो तो शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि हैसियत प्रमाण पत्र के अनुसार उल्लिखित हैसियत वर्तमान में धारित है, पार्टनशिप फार्म/कम्पनी को Audited balance Sheetसंलग्न करनी अनिवार्य होगी)

(vii) आवेदन शुल्क रू0 10000.00 (दस हजार) होगा जो नॉन रिफण्डेवल (Non-Refundable)होगा।

(viii) जमानत की धनराशि का अधार मूल्य का 25 प्रतिशत रिफण्डेवल (Refundable) होगा।

(ix) रॉयल्टी का 25 प्रतिशत धनराशि बैंक ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के नाम तैयार कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नगद धनराशि किसी भी दशा में स्वीकार नही की जायेगी।

(x) सर्वाधिक बोलीदाता को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं के जमा बैंक ड्राफ्ट नीलामी के उपरान्त वापस कर दिये जायेगें।

1. इच्छुक बोलीदाता बोली बोलने से पूर्व उप खनिज चिन्हित स्थल पर आर0बी0एम0 की मात्रा, गुणवत्ता तथा पहुॅच/निकासी मार्ग की स्थिति का निरीक्षण करने के उपरान्त बोली में प्रतिभाग करेगें। इस सम्बन्ध में बाद में कोई आपत्ति/शिकायत ग्राह्य नही की जायेगी। आवेदन करने के पश्चात **दिनांक**—तक किसी भी कार्य दिवस में चिन्हित स्थलों का निरीक्षण कर सकते है। नीलामी/बोली की प्रक्रिया में उन्ही आवेदनकर्ता व्यक्तियो/फर्मो को सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिनका आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही एवं पूर्ण पाये जायेगें।

2. यदि उच्चतम नीलामीदाता जिलाधिकारी से अनुमति मिलने से पहले अथवा नीलामी की अनुमति मिलने के बाद अथवा कार्य बीच में अधूरा छोड़ता है तो यह जमानत राशि जब्त समझी जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को जिलाधिकारी उत्तरकाशी से अनुमति मिलने के बाद ही सफल निविदादाता घोषित किया जायेगा।
4. सफल नीलामीदाता द्वारा उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के बाद ही कार्य आदेश जारी किया किया जा सकेगा।
5. कार्य आदेश जारी होने के बाद सफल निविदादाता को 02 सप्ताह अन्दर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा सफल बोलीदाता को जारी कार्यादेश निरस्त समझा जायेगा एवं 10 प्रतिशत जमानती धनराशि जब्त की जा सकेगी।
6. आर0बी0एम0 एवं निकासी हेतु कार्यादेश जारी होने के दिनांक से 04 माह अथवा 30 जून जो भी पहले हो की शर्तो के अनुसार आर0बी0एम0 निकासी की जा सकेगी।
7. चिन्हित क्षेत्र से बाहर खनन करने पर अवैध भण्डारण नियमावली–2021 एवं यथासंशोधित नियमावली–2024 में निहित प्रविधनो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. सफल नीलामीदाता यदि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत अग्रिम धनराशि जमा करने मे असफल रहता है तो द्वितीय नीलामीदाता को अवसर दिया जायेगा ओर यदि द्वितीय नीलामीदाता भी असफल रहता है तो तृतीय नीलामीदाता को अवसर दिया जायेगा।
9. नीलामी में उच्चतम बोलीदाताओं की सूची नीलामीकर्ता अधिकारी अपर जिलाधिकारी/अध्यक्ष (नीलामी समिति) के द्वारा नीलामी की स्वीकृत हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को प्रेषित की जायेगी।
10. बोलीदाता के सफल घोषित किये जाने पर उपखनिज का निस्तारण/परिवहन कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरकाशी से प्राप्त ई–रवन्ना से ही किया जायेगा।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा नदी तल में आर0बी0एम0/मलबे की सफाई का कार्य किये जाने से पूर्व राजस्व विभाग एवं खनन विभाग द्वारा क्षेत्र का सीमांकन/ड्रोन फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराये जायेगा।
12. उच्चतम बोली पर निर्धारित आयकर का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा।
13. नदी के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग को छोड़ते हुए केवल मध्य भाग में आर0बी0एम0/मलवे का चुगान किया जायेगा।
14. आर0बी0एम/मलवा की निकासी हेतु निकासी मार्ग तथा किसी भी प्रकार के स्थानीय विवाद की स्थिति में सफल अनुज्ञाधारक स्वयं ही जिम्मेदार रहेगा। समिति/जिला प्रशासन का विवाद की स्थिति में कोई उत्तरदायित्य नही होगा।
15. अनुज्ञाधारक को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) एवं पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन करना होगा।
16. उपखनिज निकासी के कारण किसी सार्वजनिक तटबन्ध, मार्ग पुल अथवा सिंचाई पेयजल योजना आदि की क्षति नही की जायेगी तथा क्षति कारित की जाती है तो क्षति की क्षतिपूर्ति अनुज्ञाधारक से वसूल की जायेगी।
17. उप खनिज की निकासी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सार्वजनिक मार्ग/सड़क अवरूद्ध न हो एवं जनसामान्य को असुविधा न हो।
18. उच्चतम बोलीदाता को उनके द्वारा बोली गयी उच्च बोली के अतिरिक्त, रॉयल्टी का 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, रायल्टी का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क तथा 15 प्रतिशत जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान शुल्क, की धनराशि शासनादेश संख्या–96/VII-A-I/2023–24ख/2007 टी0सी0 दिनांक 20.01.2023 के अनुसार अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
19. उच्च बोलीदाता को शासनादेश संख्या–96/VII-A-I/2023–24ख/2007 टी0सी0 दिनांक 20.01.2023 के प्राविधानों के अनुसार उच्च बोली के अतिरिक्त रू0 70 प्रतिटन के अनुसार अतिरिक्त रयॉल्टी पृथक से देय होगी।
20. आर0बी0एम0 का निस्तारण रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के बिन्दु सं0 07 एवं यथासंशोधित नियमावली–2024 के प्राविधानानुसार आवश्यकतानुसार मशीनों यथा जे0सी0बी0,पोकलैण्ड आदि का उपयोग करने हेतु निदेशालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

21. रिवर ड्रेजिंग नीति–2021 के बिन्दु सं0–7 के प्राविधानानुसार पुल से अपस्ट्रीम में 100 मीटर तथा डाउन स्ट्रीम में 100 मीटर के क्षेत्र को प्रतिबन्धित करते हुए उपखनिज का चुगान कार्य अनुमत गहराई तक किया जायेगा।
22. आर0बी0एम0 के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति–2021 एवं यथासंशोधित नियमावली–2024 के नियमों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
23. सफल बोलादाता/अनुज्ञाधारक द्वारा उप खनिज की निकासी सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्यास्त से पूर्व ही करनी होगी।
24. नीलामी की अन्य शर्ते/प्रतिबन्धों की जानकारी बोली बोलने से पूर्व पढ़ाई एवं सुनायी जायेगी एवं नीलामी से पूर्व भी इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा उक्त जानकारी सम्बन्धित खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तरकाशी एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
25. नीलामी हेतु न्यूनतम 03 बोलीदाता समस्त शुल्क, प्रशुल्क एवं दस्तावेजों सहित स्वंय उपस्थित होना अनिवार्य है। 03 से कम बोलीदाता होने पर नीलमी की कार्यवाही सम्पादित नही की जायेगी।
26. आधार मूल्य नियत (रायल्टी की राशि) से कम की बोली स्वीकार नही की जायेगी। बोली आधार मूल्य से अधिक धनराशि की ही स्वीकार की जायेगी।
27. नीलामी/बोली की प्रक्रिया में उन्ही आवेदनकर्ता व्यक्तियों/फर्मो को सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिनका आवेदन पत्र जांच उपरान्त सही एवं पूर्ण पाये जायेगें।

28. रिवर ड्रेजिंग नीति–2021 के बिन्दु संख्या–6 एवं यथा संशोधित नियमावली–2024 के तहत आर0बी0एम0 को हटाने की अनुमति नदी के जल स्तर तक ही दी जायेगी।
29. जनहित याचिका 169/2022 ''गगन परासर बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य व अन्य'' मे मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड़ नैनीताल के आदेश दिनांक 14.12.2023 मे दिये गये आदेश के अनुपालन में रिवर ड्रेजिंग कार्यो मे प्रदत्त मशीनों के प्रयोग के सन्दर्भ मे पारित आदेश का अक्षराश अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
30. सफल आवेनदकर्ता द्वारा स्वंय बोली की प्रक्रिया में प्रतिभाग करना अनिवार्य है। बोली में प्रतिभाग करने हेतु व्यक्ति/संस्था के किसी प्रतिनिधि को अनुमति नही दी जायेगी।
31. विगत तीन वित्तीय वर्षो के आयकर विवरण प्रस्तुत करना होगा।